



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15012026-269362
CG-MH-E-15012026-269362

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947

No. 38]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिसूचना

मुंबई 13 जनवरी, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
(साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/293.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में, शब्द “साख निर्धारण” या “साख निर्धारणों” जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, उनके स्थान पर शब्द “क्रेडिट रेटिंग” आ जाएँगे; और जहाँ कहीं भी

उनका अंग्रेजी रूप कोष्ठक में देवनागरी में लिखा हुआ हो वह भी हट जाएगा; और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में,-

(1) विनियम 9 में, खंड (च) में,

(क) शब्दों तथा चिह्नों “इन विनियमों में दी हुई कोई भी बात किसी साख निर्धारण एजेंसी को बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित कोई क्रियाकलाप करने अथवा किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक (रेग्यूलटर) या किसी प्राधिकरण (जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए) के संबंधित दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धांतों / गाइडलाइन्स) के तहत वित्तीय लिखतों (फाइनेंशियल इन्स्ट्रूमेंट) की रेटिंग करने से नहीं रोकेगी:” के स्थान पर निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न आ जाएँगे, अर्थात्,-

“इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में बताई गई कोई भी बात किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बोर्ड द्वारा बताया गया कोई दूसरा कार्य आदि (क्रियाकलाप / एक्टिविटी) करने से नहीं रोकेगी अथवा वित्तीय क्षेत्र के किसी दूसरे विनियामक (रेग्यूलटर) या प्राधिकरण (अथॉरिटी) [जो बोर्ड बताए] के दायरे में आने वाले फाइनेंशियल इन्स्ट्रूमेंट्स (वित्तीय लिखतों) की रेटिंग करने से नहीं रोकेगी:”

(ख) मौजूदा स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण आ जाएगा, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण:- इस खंड के सिलसिले में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग वित्तीय क्षेत्र के विनियामक (रेग्यूलटर) या प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा रेटिंग के संबंध में निर्धारित किए गए संबंधित दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) [जहाँ कहीं भी निर्धारित किए गए हों] के अनुसार दी जाएगी, और जो वित्तीय क्षेत्र के उस विनियामक या प्राधिकरण के दायरे में आएगी।”

(ग) मौजूदा परंतुक हट जाएगा।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./613/2025-26]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999, का.आ. सं. 547(अ) द्वारा 7 जुलाई, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 तत्पश्चात्-
 - क. 28 मार्च 2000 को का.आ. सं. 278(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 द्वारा
 - ख. 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा
 - ग. 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा
 - घ. 19 फरवरी 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 203(अ), द्वारा
 - ङ. 1 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1160(अ), द्वारा
 - च. 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा

- छ. 7 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1454(अ), द्वारा
- ज. 26 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा
- झ. 19 मार्च 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-2010/30/199044, द्वारा
- ञ. 13 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा
- ट. 5 जुलाई 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/10/21232, द्वारा
- ठ. 27 दिसम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/31/39022, द्वारा
- ड. 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- ढ. 8 दिसम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
- ण. 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा
- त. 30 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018-15, द्वारा
- थ. 11 सितम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/36, द्वारा
- द. 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/34, द्वारा
- ध. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- न. 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23, द्वारा
- प. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/29, द्वारा
- फ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
- ब. 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/69, द्वारा
- भ. 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/115, द्वारा

- म. 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/136, द्वारा
- य. 4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा
- यक. 8 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/191, द्वारा
- यख. 28 नवम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (दस्तावेजों को प्रमाणित करना) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/212, द्वारा
- यग. 21 मार्च, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/236, द्वारा
- यघ. 23 अप्रैल, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/242, द्वारा संशोधित हुए थे।

PUBLISHED BY AUTHORITY

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th January, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (CREDIT RATING AGENCIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/293.—In exercise of the powers conferred under section 30 read with section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2026.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, –
 - (1) in regulation 9, in clause (f),
 - (a) the words and symbols “Nothing contained in these regulations shall preclude a credit rating agency from carrying out any activity as may be specified by the Board or rating of financial instruments under the respective guidelines of a financial sector regulator or any authority as may be specified by the Board:” shall be substituted with the following, namely, -

“Nothing contained in these regulations shall preclude a credit rating agency from carrying out any other activity as may be specified by the Board or carrying out rating of financial instruments under the purview of any other financial sector regulator or authority as may be specified by the Board:”
 - (b) the existing Explanation shall be substituted with the following, namely, -

“Explanation: — For the purpose of this clause, the ratings undertaken by a credit rating agency shall be in accordance with the respective rating guidelines, wherever specified by the financial sector regulator or authority and shall be under the purview of the respective financial sector regulator or authority.”
 - (c) The existing proviso shall be omitted.

BABITHA RAYUDU, Ex. Director

[Advt. III/4/Ext./613/2025-26]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were issued under S.O. No. 547 (E) dated July 7, 1999 published in the Gazette of India.
2. The Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were subsequently amended on—
 - a. March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 published in Official Gazette vide S.O. No. 278(E).
 - b. May 29, 2001, by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) (Regulations), 2001 vide S.O. No. 476 (E).
 - c. September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. No.1045 (E).
 - d. February 19, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 203 (E).
 - e. October 1, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1160 (E).
 - f. March 10, 2004 by Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S. O. No. 398 (E).
 - g. September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2006 vide S. O. No. 1454(E).
 - h. May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide no. LAD/ NRO/GN/2008/11/126538.
 - i. March 19, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2010 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2009-2010/30/199044.
 - j. April 13, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/ NRO/ GN/ 2011-12/03/12650.
 - k. July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/10/21232.
 - l. December 27, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/31/39022.
 - m. May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2014 vide notification no. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - n. December 8, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/023.
 - o. March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38 dated March 29, 2017.
 - p. May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018-15.
 - q. September 11, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/36.
 - r. September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2019 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/34.
 - s. April 17, 2020 by the by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment)

Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

- t. May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.
- u. August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/29.
- v. August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- w. January 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2022, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/69.
- x. January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.
- y. July 3, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2023, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/136.
- z. July 4, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
- za. July 8, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2024, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/191.
- zb. November 28, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Attestation of Documents) (Amendment) Regulations, 2024, vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/212.
- zc. March 21, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2025, vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/236
- zd. April 23, 2025 by the Securities and Exchange Board of India Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2025, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/242.
